कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांक 2827/14-1 **दिनांक, बुलन्दशहर,** 25 **मार्च, 2017।**

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0
तृतीय तल श्री बाला काम्पलेक्स व्यासपुरी बाईपास रोड़
मेरठ।

विषय– **बुलन्दशहर में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण हेतु इस्माइलपुर बुढैना की 0.7957 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 383 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।**

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू0पी0/07/92/2016/एफ0सी0/576 दिनांक **21.03.2017**

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू0पी0/07/92/2016/एफ0सी0/576 दिनांक 21.03.2017 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित है तथा आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है मे कतिपय बिन्दुओं पर आख्या/सूचना मांगी गई है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1. **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत भूमि (0.7957x2=1.5914 ha) अर्थात 1.5914 हे0 पर** वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए **यथासंशोधित), कैम्पा** नई दिल्ली में जमा की जाएगी। प्रश्नगत प्रस्ताव में क्षति पूर्ति **वृक्षारोपण शिवालिक** वन प्रभाग, सहारनपुर के चपडी वन ब्लॉक में किया जाना **प्रस्तावित है।** प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि **0.7957x2=1.5914 ha** या 1.5914 हे0 भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव का **प्राक्कलन** रू0 10,94,242/– का **बनाया गया है।** अतः आप रू0 10,94,242/– **की** धनराशि वर्तमान दरों को **सम्मिलित करते हुए** यथा संशोधित **ई–पेमेन्ट पोर्टल के** माध्यम से जमाकर पावती **रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।**

2.(क) **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत** सरकार के पत्र **सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की** निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। अतः आप 0.7957 हे0 भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 6,26,000/– प्रति **हे0 की दर से रू0 4,98,108/–ई–पेमेंट पोर्टल के माध्यम से** जमा कर पावती **रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।**

(ख) **इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या** (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। अतः आप धनराशि को ई–पेमेंट पोर्टल के माध्यम से जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

e/sps/surv

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। अतः आप इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायें।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी। अतः इस शर्त के सम्बन्ध में अनुपालन इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

4. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। अतः इस शर्त के सम्बन्ध में अनुपालन इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अतः उक्त बिन्दुओं की कार्यवाही को पूर्ण कर आख्या प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर।

पत्रांकः / दिनांकित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर।

e/sps/surv